13.4.2022 पत्रावली पारित आदेश हेतु पेश हुई।
उभय पक्ष उप०/प्रार्थना-पत्र प्रार्थी O/S 25A
स्वीकार किया जाता है विस्तृत आदेश पृथक से
लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार
होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
डेगाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

# न्यायालय उपखण्ड-अधिकारी, डेगाना (नागौर) राज0

पीठासीन अधिकारी – मुकेश चौधरी आर.ए.एस.

प्रार्थना–पत्र संख्या – 12/2018

प्रार्थी – चेनाराम पुत्र भीखाराम जाति नायक निवासी बच्छवारी तहसील डेगाना जिला नागौर राज.

बनाम

अप्रार्थीगण–
1. भागूराम पुत्र गंगाराम
2. शंकर पुत्र प्रभूराम
3. कुम्भा पुत्र मिसाराम
4. मोतीराम पुत्र बिरमराम
5. चेनाराम पुत्र बिरमराम
6. रूकमा पुत्री बिरमराम
7. फूला पुत्री बिरमराम
8. फेफा पुत्री बिरमराम
9. नेनी पुत्री बिरमराम
10. मनोहरी पुत्री बिरमराम
11. हरदेव पुत्र मिसा
12. कालूराम पुत्र जीवणराम
13. रामकुंवार पुत्र जीवणराम
14. रामप्रसाद पुत्र जीवणराम
15. चेनाराम पुत्र भूगानराम
16. ओमप्रकाश पुत्र भूगानराम
17. पप्पूराम पुत्र भूगानराम
18. बन्ना पुत्र आईदानराम जातियान मेघवाल ग्राम बच्छवारी तहसील डेगाना जिला नागौर राज0

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955**

अधिवक्ता प्रार्थी – श्री अजयसिंह, श्री भंवर सिंह जोधा

अधिवक्ता अप्रार्थी– श्री महेश दिवाकर

दिनांक 13.4.2022

–:: आदेश ::–

प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी व अप्रार्थीगण की सामलाती खातेदारी की जमीन ग्राम बच्छवारी तहसील डेगाना की राजस्व सीमा में स्थित खसरा नंबर 644 रकबा 3.9500 हैक्टेयर में आने जाने, गाड़ी छकड़ा, मवेशीयान ट्रेक्टर–ट्रोली आदि जाने ले जाने का एकमात्र रास्ता कटानी मार्ग मुड़िया सड़क ग्राम बच्छवारी से ग्राम दूधड़ास आने जाने वाली से फन्ट कर जमीन खसरा नंबर 643 के पश्चिम–पूर्वी लम्बाई व दक्षिणी माठ के सहारे–सहारे 15 फुट रास्ता खसरा नंबर 644 में आने जाने का रास्ता नजरी नक्शा में लाल स्याही से मार्क ए, बी से दर्शित है। उक्त रास्ता मौके पर चालू

सहायक कलक्टर
एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
डेगाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

था। अप्रार्थी संख्या 1 भागूराम ने 10 दिन पूर्व मार्क ए स्थान पर से ~~कब्ब~~ रास्ता बन्द कर दिया जिससे उक्त रास्ते की जमीन को कटानी रास्ते की घोषित फरमायी जानी व रास्ता खुलवाया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित है, जो सभी खातेदारान के सुविधाजनक है। इस रास्ते के अलावा प्रार्थी के खेतों तक पहुँचने का अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। सबसे नजदीक यही एक मात्र रास्ता है। उक्त रास्ता के अभाव में प्रार्थी के खेतों की उपयोगिता ही समाप्त हो जायेगी। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी की जमीन खसरा नंबर 644 रकबा 3.9500 हैक्टेयर में आने जाने गाड़ी छकड़ा ट्रेक्टर ट्रोली मवेसीयान आदि ले जाने हेतु अप्रार्थीगण की जमीन खसरा नंबर 643 रकबा 1.4800 हैक्टेयर की दक्षिणी माठ के सहारे–सहारे पश्चिम–पूर्वी लम्बाई में ट्रेस नक्शें में दर्शित रास्ता मार्क ए, बी जो लाल स्याही से अंकित है रास्ता घोषित फरमाया जावे जिसकी प्रतिकर की राशि प्रार्थी अदा करने को तैयार है। उक्त रास्ता अविलम्ब खुलवाया जावे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को वास्ते जवाबदेही जरिये नोटिस तलब किया गया एवं तहसीलदार डेगाना से वादग्रस्त भूमि की मौका स्थिति की रिपोर्ट तलब की गई। अप्रार्थीगण संख्या 2 से 11, 18 के विरूद्व बावजूद पर्याप्त सूचना के हाजिर नहीं होने से एक पक्षिय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थीगण संख्या 1, 12 से 17 की ओर से अधिवक्ता ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थी पक्षकारान की पुश्तेनी व संयुक्त खातेदारी के खेत खसरा नंबर 644 में से हाल ही में जमीन खरीद की है जिससे वह इस खसरे का स्ट्रेन्ज्र खातेदार है तथा जब तक पक्षकारान के बीच विधिवत बंटवारा नहीं हो जाता तब तक उसे खसरा नंबर 644 के किसी भी अन्य भाग पर न तो कब्जा कायम करने का अधिकार है व न ही उसके द्वारा रास्ता कायम करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कोई अधिकार है। अधिवक्ता अप्रार्थी ने जवाब में विशेष विवरण में कथन किया है कि खेत खसरा नंबर 644 रकबा 3.95 हैक्टेयर का प्रार्थी सहखातेदार नहीं है व न हीं उसका खसरा नंबर 644 में किसी भी भाग पर काश्त व कब्जा है क्योंकि प्रार्थी ग्राम निम्बड़ी चान्दावता का निवासी है जबकि उक्त खेत ग्राम बच्छवारी में आया हुआ है। वास्तव में खसरा नंबर 644 के खातेदारान अनुसूचित जाति के व्यक्ति है परन्तु राजस्थान टिनेंसी एक्ट की धारा 42 के तहत इस खेत का हस्तान्तरण स्वर्ण जाति के पक्ष में नहीं हो सकता जिससे ग्राम बच्छवारी के स्वर्ण जाति के श्री रामकिशोर पुत्र देवाराम जाति जाट व मोहनराम पुत्र बक्साराम जाति जाट ने यह खेत अनुसूचित जाति के शंकर पुत्र प्रभूराम जाति मेघवाल व कुम्भा पुत्र मिसा जाति मेघवाल से उनके हिस्से की जमीन गैरकानूनी रूपसे खरीदी व दिखावटी तौर पर प्रार्थी के नाम रजिस्ट्री करवाई है व अब यह प्रार्थना पत्र भी श्री रामकिशोर व मोहनराम ने ही प्रस्तुत करवाया है जिससे यह प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है। खसरा नंबर 643 के दक्षिणी मांठ के सहारे पूर्व से पश्चिम रास्ता होना बिल्कुल गलत प्रकट किया है जबकि उक्त जगह कभी भी रास्ता नहीं रहा है बल्कि उक्त जगह तो अप्रार्थी भागूराम का छपरा कदीमी बना हुआ है इसलिये मौके पर रास्ता बन्द करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है व न ही खसरा नंबर 644 के सहखातेदारान को खसरा

सहायक कलक्टर
एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
डेगाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

नंबर 643 में रास्ता मांगने कोई अधिकार है। खेत खसरा नंबर 643 व 644 स्व. गुलाराम व स्व. मीसाराम की संयुक्त खातेदारी के खेत थे तथा यह दोनो भाई सगे भाई थे तथा सामलात में ही दोनो खेत काश्त करते थे तथा इन दोनो भाईयों का देहान्त होने पर खसरा नंबर 643 व 644 में समान रूपसे इनके वारिसान के नाम दर्ज कर दिये गये परन्तु इन दोनो खसरान में संयुक्त खातेदारान के बीच आज दिन तक विधिवत बंटवारा नहीं हुआ है तथा खसरा नंबर 643 व 644 के 1/6 हिस्से में चेनाराम, पप्पुराम, ओमप्रकाश पुत्र भुगान, बन्ना पुत्र आईदान, भागूराम पुत्र गंगाराम का नाम दर्ज हो रखा है। इसी प्रकार खसरा नंबर 643 व 644 के 1/2 हिस्से में शंकर पुत्र प्रभू, कुम्भा पुत्र मीसा, मोती, चेना पुत्र बिरम व पारखी पत्नी बीरम का नाम दर्ज हो रखा है परन्तु प्रार्थी के नाम खसरा नंबर 644 में बेचान रजिस्ट्री होने से शंकर पुत्र प्रभू, कुम्भा पुत्र मीसा की जगह नाम दर्ज हो गया है जो इन खसरान का बाहरी (स्ट्रेन्जर) बाहरी व्यक्ति है तथा जब तक पक्षकारान के बीच विधिवत बंटवारा नहीं हो जाता तब तक कानूनन उसे उक्त खसरा के किसी भी अन्य भाग पर काबिज होने का अधिकार नहीं है व न ही उसे यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का अधिकार है। खसरा नंबर 643 व 644 में समान रूप से सहखातेदारान की संयुक्त खातेदारी दर्ज हो रखी है इसलिए जब तक सहखातेदारान का बंट विधिवत रूपसे कायम नहीं हो जाता तब तक कानूनन किसी भाग पर रास्ता कायम नहीं किया जा सकता जिससे यह प्रार्थना पत्र काबिल खारिज के है। खसरा नंबर 644 की बैचान रजिस्ट्री शंकर पुत्र प्रभू व कुम्भा पुत्र मीसा के द्वारा करवाई गई है जो कि खसरा नंबर 643 के भी खातेदार है इसलिए अगर प्रार्थी रास्ता कायम करवाना चाहे तो कानूनन वह खसरा नंबर 643 में शंकर पुत्र प्रभू व कुम्भा पुत्र मीसा की जमीन में ही रास्ता मांग सकता है। जवाब देहिन्दा अप्रार्थीगण की जमीन में रास्ता मांगने का उसे कोई अधिकार नहीं है। ग्राम बच्छवारी में श्री रामकिशोर व मोहनराम ने राजनैतिक दबाब डलवाकर व पटवारी हल्का व भू–अभिलेख निरीक्षक सांजू से बिल्कुल गलत रूपसे मौका निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करवाई है तथा मौका निरीक्षण रिपोर्ट में दोनो खेत पुश्तेनी होने व संयुक्त खातेदारी में होने के तथ्य छिपाये गये है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज करने की कृपा करावें।

भू–अभिलेख निरीक्षक सांजू व पटवारी हल्का आकेली बी ने संयुक्त हस्ताक्षरित मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की है जिसमें खसरा नंबर 643 व 644 का नजरी नक्शा अंकित किया है तथा प्रार्थी के द्वारा चाहा गया रास्ता ही सबसे नजदीकी रास्ता होना अंकित किया है। वांछित रास्ते के अलवा खसरा नंबर 644 में जाने के लिये अन्य नजदीकी रास्ता उपलब्ध नहीं होना अंकित किया है। प्रस्तावित रास्ते की भूमि का रकबा 0.0082 हैक्टेयर होना अंकित किया है।

उभय पक्ष वकुलाय की बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। दौराने बहस अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया है कि प्रार्थी द्वारा वांछित एवं भू अभिलेख निरीक्षक सांजू के द्वारा प्रस्तावित रास्ता घोषित किया जावे। दौराने बहस अधिवक्ता अप्रार्थी ने अपने जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का कथन किया।

सहायक कलक्टर
एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
[illegible]

Scanned by CamScanner

अधिवक्ता अप्रार्थी ने अपने जवाब में मुख्य रूपसे कथन किया है कि प्रार्थी अजनबी क्रेता है तथा उसका मौके पर कब्जा नहीं है तथा मुख्य क्रेता अनुसूचित जाति का नही है। इसके अलावा खसरा नंबर 643 व 644 के खातेदार समान है तथा भूमि अविभाजित होने के कारण उसे प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं है। प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत नकल जमाबन्दी (संवत् 2072–2075) खसरा नंबर 644 के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी उक्त भूमि का रेकोर्डेड खातेदार है। प्रार्थी अनुसूचित जाति का सदस्य होकर नायक जाति का व्यक्ति है जिससे उसको उक्त भूमि क्रय करने का पूर्ण अधिकार है। फिर भी अप्रार्थीगण चाहे तो इसके संबंध में सक्षम न्यायालय में चाराजोही करने के लिये स्वतंत्र है। चूंकि प्रार्थी खसरा नंबर 644 का रेकोर्डेड खातेदार है जिससे बतोर खातेदार उक्त खसरा की भूमि में प्रार्थी का कब्जा स्वीकार किया जायेगा। अब प्रश्न खसरा नंबर 644 व 643 के समान पक्षकार होना का है तो प्रस्तुत दस्तावेज नकल जमाबन्दी (संवत् 2072–2075) के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी के अलावा सभी पक्षकार तकरीबन समान है। भू–अभिलेख निरीक्षक सांजू के द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि खसरा नंबर 644 में पहुँच हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है जिससे प्रार्थी को अपनी सहखातेदारी के खेत खसरा नंबर 644 में आने जाने हेतु धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत रास्ते की मांग करने का प्रार्थी को पूर्ण अधिकार है। अप्रार्थीगण ने अपने जवाब में यह कथन किया है कि खसरा नंबर 644 की भूमि अविभाजित है तथा प्रार्थी किस स्थान पर काबिज है यह स्पष्ट नहीं है जिससे चाहा गया रास्ता ही उचित हो यह साबित नहीं है। प्रार्थी के द्वारा खसरा नंबर 644 में पहुँच हेतु रास्ता चाहा है, तथा सहखातेदार की हैसियत से प्रार्थी का उक्त खसरा की भूमि में प्रत्येक इंच पर समान रूपसे कब्जा स्वीकार किया जायेगा। इससे प्रार्थी द्वारा रास्ते की मांग की जाना न्यायसंगत है। उपर्युक्त विवेचन अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम बच्छवारी के खेत खसरा नंबर 644 रकबा 3.9500 हैक्टेयर में आने जाने हेतु ग्राम बच्छवारी के खेत खसरा नंबर रकबा 1.48 हैक्टेयर की दक्षिणी मांठ पर पश्चिम से पूर्व लम्बाई में 15 फुट चौडा रकबा 0.0082 हैक्टेयर रास्ता घोषित किया जाता है। तहसीलदार सांजू को आदेशित किया जाता है कि उक्त खसरा की भूमि की वर्तमान डी.एल.सी. दर से रास्ते की भूमि की गणना कर प्रार्थी से नियमानुसार जमा करवाकर तत्तपश्चात् रास्ते का राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज करें तथा उक्त रास्ता का प्रार्थी को छोड़ते हुए अन्य सभी सहखातेदारान के मध्य हिस्से अनुसार प्रतिफल का भुगतान करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिज दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 13.4.2022 को मेरे द्वारा हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय सुनाया गया।

(मुकेश चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी,
डेगाना (नागौर)

सहायक कलक्टर
एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
डेगाना (नागौर)

Scanned by CamScanner